

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/91
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00082
CICOM/R/2018/00232

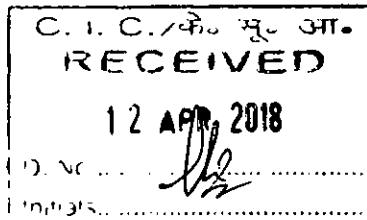
दिनांक: 12.04.2018

अपीलकर्ता : श्री सुरेन्द्र कुमार,
द्वारा - श्री आर. एल. गुप्ता,
सी.ई. - 47, दूसरा तल, पुस्ता - कविनगर,
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
मो0 - 9971539426.

निर्णय की तारीख: 12.04.2018.

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	21.02.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	08.03.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. के. मोहापात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	गैरदिनांकित
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	128/27.03.2018 (118144/21.03.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 21.02.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से चार बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी. के. मोहापात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त - एस.ए. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।
2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 21.02.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री टी. के. मोहापात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-एस.ए. कार्यालय द्वारा दिनांक 08.03.2018 को प्रेषित की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसृत है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक आवेदन के बिंदु सं. 4 का प्रश्न है - किसी जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रदान नहीं किए जाने या प्रदान की गई सूचना पर टिप्पणी करना किसी दूसरे जन सूचना अधिकारी के दायित्व से परे है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

12-6-18